

16/1/24

पताकली जमा हुई। प्रकरण में अधिक बारी द्वारा पूर्व में पेसी
में उपस्थित होकर कोई कार्यवाही नहीं चाहकर 19th
process किया गया। अतः कोई कार्यवाही नहीं करने से
प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्रकरण
को इसी स्तर पर शेष किया जाता है। पताकली में अंत



फर्द-अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

प्राथी.....विपक्षी.....

किस्म मुकदमा.....पत्रावली संख्या.....सन.....

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर वादी/प्रतिवादी/ गवाह/आदेश पालनार्थ आदेशांक व दिनांक
	<p>शुक्रवार ६ फरवरी से नम हो। प्रतिपक्षी अहकाम /</p>	